रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 1985/वैशाख 26, 1907
No. 236] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 1985/VAISAKHA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय)

नई दिल्ली, 16 मई, 1985

आदेश

का.आ. 392(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 920(अ) तारीख 19 दिसंबर, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
" 2	एक्सीपेमिड टेबलेट्स	20 मि.ग्रा./ टेबलेट	10 × 10 की पट्टी	44.80"

[सं. 9(59)/84-डी-II]
प्रदीप मेहरा, उप-सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

New Delhi, the 16th May, 1985

ORDER

S.O. 392(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 920(E), dated the 19th December, 1983, namely :—

In the Table to the said Order, for Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"2.	Xipamid Tablets	20mg/tablet	10 × 10's strip	44.80"

[No. 9(59)/84-D. II]
PRADIP MEHRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985